आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 27.09.2013 को स्पीडी ट्रायल एवं स्पीडी अपील वादों आदि के संबंध में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति :–

1. पुलिस अधीक्षक, किशनगंज।
2. अपर समाहर्त्ता, किशनगंज।
3. वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज।
4. अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज।
5. लोक अभियोजक, किशनगंज।
6. सरकारी वकील, किशनगंज।
7. जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज।
8. सहायक अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज।

–: कार्यवाही :–

आपराधिक मामलों के त्वरित विचारण (स्पीडी ट्रॉयल) तथा त्वरित अपील (स्पीडी अपील) की समीक्षा उपस्थित पुलिस अधीक्षक, लोक अभियोजक, प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारियों के साथ की गई।

सर्वप्रथम दिनांक 27.07.2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही के संबंध में अनुपालन की समीक्षा की गई तथा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी अपराधिक वादों के निष्पादन की समीक्षा की जा रही है और सभी स्तरों पर इसका अनुश्रवण कर त्वरित निष्पादन के संबंध में निदेश प्राप्त है।

इस संबंध में कहा गया कि स्पीडी ट्रॉयल में Acquittal के विरूद्ध मात्र एक मामलों में अब तक अपील दायर किया गया है, जबकि ऐसे कई मामलें होंगे, इस सम्बन्ध में पदाधिकारियों को चुस्त कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया। यह पाया गया कि अपील में पैरवी की जा रही है, किन्तु रिहाई के मामले में कार्यवाही नहीं की गई है। सबंधित ऐसे मामलों में ठोस व कारगर कार्रवाई आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक मामलों में सजा हो और किसी कमी के फलस्वरूप वाद में दोषी दोषमुक्त न हो सके।

बताया गया कि मजिस्ट्रीयल ट्रॉयल में रिहाई के विरूद्ध अपील का प्रावधान है, अतः ऐसे मामलों में जिला अभियोजन पदाधिकारी अविलम्ब प्रस्ताव देंगे। साथ ही, सेशन ट्रॉयल में रिहाई के विरूद्ध लोक अभियोजक अविलम्ब प्रस्ताव देंगे ताकि राज्य सरकार के अनुमोदनोपारंत माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर करने की कार्रवाई की जा सके। समीक्षा के क्रम में विज्ञ लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि एक मामले (**सेशन ट्रॉयल नं0–285/2012, दिघलबैंक थाना कांड संख्या–18/2011**) में आदेश पारित किया

गया है कि जिसके विरूद्ध अपील दायर किया जाना है। इस सम्बन्ध में निदेश दिया गया कि वे समय सीमा के अन्तर्गत अपील दायर करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

यह भी कहा गया कि किसी कारणवश अपराधी का जमानत हो जाता है, तो उसे रद्द की भी कार्रवाई कराना आवश्यक है। **इस हेतु अभियोजन पदाधिकारी, लोक अभियोजक, पुलिस अधीक्षक विशेष चौकसी रखेंगे ताकि ऐसे मामले संज्ञान में आने पर अविलम्ब विधिसम्मत् कार्रवाई की जा सके।** स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों पर काबू रखा जाय ताकि अपराधियों में भय व्याप्त रहे। यह भी कहा गया कि स्पीडी ट्रॉयल के मामले में किसी भी स्तर पर विलम्ब न हो, इसे भी ध्यान रखेंगे। किसी भी मामलें में यदि Acquittal माननीय न्यायालय द्वारा दी जाती है तो इसकी सूचना अविलम्ब जिला अभियोजन पदाधिकारी/लोक अभियोजक पुलिस अधीक्षक एवं अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि विशेषकर भूमि विवाद/गम्भीर विधि–व्यवस्था/सरकारी कार्य में बाधा/शस्त्र अधिनियम आदि जैसे मामलों में उक्त स्थिति होने पर अविलम्ब सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।

समीक्षा के क्रम में यह तथ्य सामने आये कि कई मामलों में सरकारी कर्मी गवाह होते हैं, किन्तु वाद के विचरण के दौरान ऐसे सरकारी कर्मी Hostile हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वाद की अग्रेत्तर कार्यवाही में बाधा पहुँच रही है और दोषी को इससे लाभ पहुँच रहा है। विमर्शोपरान्त इस सम्बन्ध में कहा गया कि **ऐसे मामलों की सूची साक्ष्य की प्रति के साथ अविलम्ब देना सुनिश्चित किया जाय** ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

आपराधिक मामलों के त्वरित ट्रॉयल एवं अपील से सम्बन्धित मासिक प्रतिवेदन माह अगस्त 2013 के अनुसार स्पीडी ट्रॉयल के 85 मामलें एवं स्पीडी अपील के 22 मामलें लंबित है, जिसमें कुछ वाद काफी पुराने है इसे अविलम्ब दिन–प्रतिदिन कार्यवाही के लिए लोक अभियोजक को निदेशित किया गया।

जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा माह अगस्त, 2013 के प्रतिवेदनानुसार कुल 5726 मामले के विरूद्ध 104 मामले निष्पादित प्रतिवेदित किया गया है और 5622 मामले लंबित है, जिसमें 20 मामलों में सजा, 48 मामलों में सुलह प्रतिवेदित है। अजमानतीय वादों में जमानत संबंधी विवरणी के अनुसार 40 जमानत स्वीकृत तथा 45 जमानत अस्वीकृत करने के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है।

विमर्शोपरांत स्पीडी ट्रॉयल (त्वरित विचारण) हेतु वादों को चिह्नित करने के लिए सम्मिलित रूप से समीक्षा करने हेतु निर्णय लिया गया, जिसमें अधोहस्ताक्षरी एवं पुलिस अधीक्षक सहित लोक अभियोजक/सरकारी वकील/उत्पाद/वन विभाग एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी रहेंगे ताकि इसके निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सके।

जिला अभियोजन पदाधिकारी द्वारा स्पीडी ट्रॉयल और मस्ट्रॉयल ट्रॉयल से सम्बन्धित सूची अद्यतन स्थिति सहित समर्पित किया गया, परन्तु लोक अभियोजक द्वारा कोई भी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप वादवार मामलों की समीक्षा नहीं हो सका। लोक अभियोजक को समयपूर्व प्रतिवेदन समर्पित करने तथा बैठक में सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया ताकि स्पीडी ट्रॉयल के मामलों में

दिन-प्रतिदिन की जा रही कार्यवाही की समीक्षा की जा सके और सम्बन्धित वादों में होने वाली कठिनाई का निराकरण साथ-साथ किया जा सके।

विभागीय निदेश के आलोक में माप-तौल अधिनियम एवं परिवहन अधिनियम के तहत् वादों के त्वरित संचालन हेतु लंबित मामलों की संख्या से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है ताकि विभागीय निदेश के आलोक में तत्काल किसी सहायक अभियोजन पदाधिकारी को सौंप कर वादों का त्वरित निष्पादन कराया जा सके। माप-तौल विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया।

बैठक में उपस्थित अधीक्षक, उत्पाद द्वारा उत्पाद से सम्बन्धित लंबित वादों की सूची समीक्षोपरान्त समर्पित किया गया है जिसके अनुसार कुल-104 वाद प्रतिवेदित किये गये हैं। प्रतिवेदित वाद में कई ऐसे वाद हैं जिसकी तिथि वर्ष 2008/2009/2010/2011/2012 अंकित की गई है जो काफी पूर्व में कालातित हैं। फलतः वाद की अद्यतन स्थिति नहीं प्राप्त हो रहा है कि ऐसे मामले निष्पादित हो गये है अथवा न्यायालय के समक्ष विचरण में है। अधीक्षक, उत्पाद को ऐसे लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति अविलम्ब प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया ताकि लंबित वादों में समयवद्ध ढ़ंग से कार्यवाही के साथ-साथ नियमित रूप से अनुश्रवण किया जा सके।

विज्ञ सरकारी वकील द्वारा विभिन्न न्यायालय में चल रहे स्वत्व वाद एवं स्वत्व अपील वादों की सूची प्रस्तुत किया गया। सूची अनुसार कुल 63 मामलें लंबित प्रतिवेदित किये गये हैं। समीक्षोपरान्त लंबित मामलों में अंचलाधिकारी /अपर समाहर्त्ता/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को तदनुसार कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्यान्य :-

1. **कोटपा अधिनियम** के समुचित कार्यान्वयन हेतु संबधित सभी पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् लंबित वादों के निष्पादन के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
3. **सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक को प्रतिधारण व दैनिक वादों के संचालन शुल्क से संबंधित लंबित विपत्र अविलम्ब समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया जबकि मासिक रूप से विपत्र समर्पित करने हेतु पूर्व में भी निदेशित किया गया है।**

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./-
(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एव समाहर्त्ता
किशनगंज।

(4/1)

ज्ञापांक 552 /जि.विधि., किशनगंज, दिनांक .....28.09.2013.

प्रतिलिपि :— लोक अभियोजक/सरकारी वकील/प्रभारी जिला अभियोजन पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला परिवहन पदाधिकारी/सिविल सर्जन/जिला शिक्षा पदाधिकारी/अधीक्षक, उत्पाद/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विकास प्रशाखा/जिला सामान्य प्रशाखा/निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान/डी.पी.एम., जिला स्वास्थ्य समिति, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को निदेशित करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपि :— पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :— आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :— महानिदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :— प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सूचनार्थ।

28/9/13

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

दिनांक 27.09.2013 को आपराधिक मामलों के त्वरित निष्पादन से संबंधित बैठक हेतु एजेण्डा

1. स्पीडी ट्रॉयल/स्पीडी अपील के संबंध में।
2. मजिस्ट्रीलय ट्रायल एवं सेशन ट्रायल में रिहाई के विरूद्ध अपील दायर करने के संबंध में तथा स्थिति।
3. रिहाई के विरूद्ध दायर अपील वादों के संबंध में।
4. जमानत रद्द कराने से संबंधित मामलों के संबंध में।
5. अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत् लंबित वादों के संबंध में।
6. लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक/अभियोजन पदाधिकारी/सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा।
7. उत्पाद/वन/परिवहन/माप–तौल/विद्युत आदि के लंबित वादों के संबंध में।
8. अवैध शराब के विरूद्ध अभियान चलाने के संबंध में।
9. कोटपा अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में।
10. दायर स्वत्व वाद एवं स्वत्व अपील वाद के संबंध में।
11. सरकारी वकील/लोक अभियोजक के मासिक शुल्क विपत्र समर्पित करने के संबंध में।
12. अन्यान्य

****